

131

255

प्रति निगम/रीवा/ 2018/ 02126

न्यायालय श्री मान् राजस्व बोर्ड ग्वालिअर लिंक कोर्ट-रीवा,

जिला-रीवा म.प्र.



1- उमेश तनय स्व. उदयभान, उम्र-34 साल,

2- बृजेश तनय स्व. उदयभान, उम्र-23 साल,

तभी जाति-पटेल, कुर्मी निवासी ग्राम-तरैहा, पो.-पाड़र,
धाना व तहसील-मउंज, जिला-रीवा म.प्र.

3- श्रीमती रीमतउ पुत्री स्व. उदयभान पत्नी कैलाश पटेल, उम्र-30
साल, निवासी ग्राम-बीरवा, पो.ऑ.-गौरी, धाना-शाहपुर,
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा म.प्र.

4- श्रीमती शुभमा पुत्री उदयभान, उम्र-24 साल, निवासी ग्राम-
देवरी, धाना व तहसील-मउंज, जिला-रीवा म.प्र. ---निगरानीकर्तागण

बना म्

1- जगजलाल तनय सरजू, उम्र-70 साल,

2- कामता तनय सरजू, उम्र- साल,

3- बड़ी तनय गम्भू, उम्र-70 साल,

4- मुत्त. निर्मला पत्नी स्व. महेश तनय जंगजीत, उम्र-32 साल,

5- रमेश तनय स्व. जंगजीत, उम्र-28 साल,

6- राजेश तनय जंगजीत, उम्र-25 साल,

7- लुशीला तनय स्व. जंगजीत, उम्र-22 साल,

8- मुत्त. फूलवती पत्नी जंगजीत,

तभी जाति-पटेल कुर्मी निवासी ग्राम-तरैहा, पो.ऑ.-पाड़र,
धाना/तह.-मउंज, जिला-रीवा म.प्र. ---गैर निगरानीकर्तागण

मिथिला पत्रिका
पत्रिका
कलकत्ता

कलकत्ता कोर्ट
रजिस्ट्रार मण्डल म.प्र. ग्वालिअर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

Handwritten signature and initials.

पुनरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी-मझांज
के प्र.क्र. -68/अ-6/18x17 में पारित आदेश दिनांक
23.1.2018 अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा. संहिता
1959 ई.।

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न है :-----

1/- यह कि, निगरानीकर्तागण के बाबा गम्भू तनय रमेश्वर कुर्मी
निवासी ग्राम-सरैहा ने पूर्व में अपीलाधीन भूमि ख.नं.-445/1 रकवा
0.68 ए०, 446/1 रकवा 0.49 ए०, 447/1 रकवा 0.40 ए०, 465/2
रकवा 0.25 ए०, 490 रकवा 1.72 ए०, 499/3 रकवा 1.00 ए०, का
धारा-158 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत भूमिस्वामी घोषित किये जाने का
आवेदन-पत्र दिया था। जिसमें तहसीलदार-सीतापुर मझांज ने अनुविभागीय
अधिकारी-मझांज के आदेश दिनांक-31.1.81 के अनुसार गम्भू का कब्जा
दखल म.प्र.भू.रा.सं.-1959 के पूर्व से यानी वर्ष-1956x57 के पूर्व से
लगातार कब्जा स्थापित रहे आने से गम्भू को भूमिस्वामी विधि के
अनुसार मानकर भूमिस्वामी दिनांक-31.3.1983 को घोषित कर दिया,
उक्त आदेश से गम्भू भूमिस्वामी दर्ज हो गए।

2/- यह कि, गम्भू की यह सम्पत्ति स्व अर्जित सम्पत्ति है।
गम्भू के मृत्यु के बाद गम्भू के वारिसान का हक वा स्वत्व जरिए
वारिसाना स्थापित हुआ था, गम्भू का वंश-वृक्ष निम्न है:---



1- लक्ष्मी
2- लक्ष्मी
3- लक्ष्मी
4- मु. नि.
5- रमेश
6- रा.
7-

(131)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... ग. निगा०/शेवा/२०१८/०२१२६..... जिला शेवा.....

..... विरुद्ध जगजलाल.....

| 1 | 2 | 3 |
|---------|--|---|
| 161-19- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री..... पवन कठ पाण्डेय..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील..... मुन्नाज..... के प्रकरण क्रमांक..... 68/31-6/2016-17..... में पारित आदेश दिनांक..... 23.01.18..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... शेवा..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... 29.03.19..... को कलेक्टर..... शेवा..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> | |

सदस्य